रजि स्ट्री सं० डी०—(डी एन)—128

REGISTERED NO. D—(DN)—128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1987 (आश्विन 4, 1909)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1987 (ASAVINA 4, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचना सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 26 अगस्त 1987

सं० ए० डी० एम० –38053—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :

श्री व्ही०जी० कोतवाल, अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी–6 ने 17 अगस्त 1987 से उप–महाप्रबंधक, सरकारी लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

सं० ए० डी० एम०–38082—बैंक स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री एस० सी० कपूर, अधिकारी, शीर्ष प्रबंधन श्रेणी–मान–6 ने 4 सितम्बर, 1987 को कार्य समाप्ति पर उप–महाप्रबंधक (कार्मिक प्रशासन), केन्द्रीय कार्यालय के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

सी० आर० विजय राघवन, मुख्य महाप्रबंधक,
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई-400005, दिनांक 5 अगस्त 1987

सं० 3–डब्ल्यू०सी०ए०(5)/7/87–88—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3–डब्ल्यू०सी०ए० (4)/7/85-86 दिनांक 31–3–1986, 3–डब्ल्यू० सी० ए० (4)/7/86-87 दिनांक 25–2–1987 3–डब्ल्यू० सी० ए० (4)/9/85-86 दिनांक 31–3–1986 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का

प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुन : उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	10090	श्री प्रेम चन्द उत्तम चन्द जैन, एफ० सी० ए०, 302, गणेश दर्शन, जगदुशा नगर, घाटकोपर (प) बम्बई–400 086	22–6–87
2.	32525	श्री गजानन्द अग्रवाल, ए०सी० ए०, 6/307, राजेन्द्र नगर, कुलूपवाडी रोड, नेशनल पार्क के नजदीक, बोरीवली (पूर्व), बम्बई–400066	22–6–87
3.	33102	श्रीमति कंचन एम० जोशी, ए० सी०ए०, पी०ओ० बाक्स नं०– 15468, रूचेस्टर एन०वाई० 14617 (यू० एस० ए०)	15–7–87
4.	35565	श्री अनन्त सिंह चौधरी, ए०सी० ए०, 8, हिल अबोर्ड, माउण्ट, पाईन्सर, बोरीवली–(प०) बम्बई–400103	19–6–87
5.	36364	श्री विक्रम जी० आडवानी, ए० सी० ए०, 9–सी, "अजन्ता" डा० राजाबल्ली पटेल लेन, बम्बई–400026	3–7–87

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

कलकत्ता-700071, दिनांक 9 सितम्बर 1987

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स

सं० 3–ई० सी० ए० (5)/6/87-88– इस संस्थान की अधिसूचना नं० 4–ई०सी०ए० (11)/79–80, 3–ई०सी०ए० (4)/3/85–86 और 3–ई०सी०ए० (4)/10/ 86-87 दिनांक 15–3–1980, 30–9–85 और 27–2–87, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुन: उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है ।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	6998	श्री सुशील कुमार मजूमदार, ए०सी०ए०, 21/ए०, राजा–बसन्ता राय रोड, 1 फ्लोर कलकत्ता–700 026	21–7–87
2.	7733	श्री मृणाल कान्ति सूर, ए०सी० ए०, 105, सलीमपुर रोड, धकुरिया, कलकत्ता–700031	1–7–87
3.	50668	श्री संजीव भट्टाचार्या, ए०सी०ए० एफ०7/1, लबोनी, साल्ट लेक, कलकत्ता–700 031	13–7–87
4.	51376	श्री सुमित कुमार तरफदार, ए०सी०ए०, पी०–170, सी० आई० टी० रोड, कलकत्ता–700001	22–7–87
5.	52224	श्री पार्था सारथी बसु, ए०सी० ए०, 4/16, फर्न रोड,1 फ्लोर कलकत्ता–700019	15–7–87

आर० एल० चोपड़ा,
सचिव

मद्रास–600034, दिनांक 9 सितम्बर 1987

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं०3–एस सी० ए० (5)/6/87–88 :—इस संस्थान की अधिसूचना सं०4–सी० ए० (1)/9/68–69 दिनांक 31 जुलाई, 1968, 4 एस० सी० ए० (1)/9/79–80 दिनांक 15 मार्च 1980, 4–एस० सी० ए०(1)/14/80–81 दिनांक 31 मार्च 1981, 4–एस० सी० ए० (1)/37/4/82–83 दिनांक31 मार्च 1983, 3–एस सी० ए० (4)/12/83–84 दिनांक 31 मार्च 1984, 3–एस० सी० ए० (4)/13/85–86 दिनांक 31 मार्च 1986, 3–एन० सी० ए० (4)/3/86–87 दिनांक 27 फरवरी 1987 और 3–एस० सी० ए० (4) 10/86–87 दिनांक 27 फरवरी 1987, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों

का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथि से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	2419	श्री ई० वी० जैकब, ए०सी०ए० चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, वाई-207, वी० एवेन्यू, अन्ना नगर, मद्रास —600 040	16–6–87
2.	11256	श्री सी० एस० गोपालकृष्णा सेट्टी, एफ० सी० ए०, 'जयविजय" नं० 602, 2 क्रॉस, 3 ब्लाक, 16 "बी" मैन रोड, कोरामंगला लेआट, बंगलोर—560 034 ।	24–7–87
3.	16355	श्री आर० सेशाद्री, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, नं० 7, श्री गंगा अपार्टमेंट्स, 108, रोयापेट्टाह हाई रोड, माइलापोर, मद्रास—600 004	17-6-87
4.	18351	श्री एस० रेंगानाथन, ए०सी०ए०, पी० एच० 77–78, साउथर्न टावनशिप, कामाराजापुरम, तिरुचिरापल्ली—620 014	24–7–87
5.	19932	श्री कुरियन सी० जोर्ज, ए० सी० ए०, डिप्टी जनरल मैनेजर, मेसर्स कार्बन एण्ड केमीकल्स इंडिया लि०, पी० बी० नं० 3528, कोचीन —682 035 ।	17–7–87
	1115	श्री ए० जगान्नाथ बाबू, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, 69/1, श्री साई कृपा, मैन 17 क्रोस, माल्लेस्वरम, लोर—560 055 ।	6–7–87
		ी० एन्टोनी जोसेफ, ी० ए०, ए, "कुन्नेल", रोड, काडावंथारा, 82 020 ।	24–7–87
		ा सीथाराम, ए०, ९ क्रोस, लेआउट, मठिकेरे,	23–7–87

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली—110001, दिनांक 8 सितम्बर 1987

सूचना

सं० 21–14/86–एल० आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है । निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें ।

क्र० सं०	पालिसी सं० और दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रुपए)
1.	272325-सी 22–1–80	श्री गोबिन्द राम सोनाग्रा	20,000/–

सं० 25–38/87–एल० आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है । निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें ।

क्र० सं०	पालिसी सं० और दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रुपए)
1.	380648-सी 6–7–81	श्री गोपाल लाल	5,000/–

दिनांक 10 सितम्बर, 1987

सूचना

सं० 25–16/87–एल० आई०—नीचे जिन बीमा पालिसियों का ब्यौरा दिया गया है वे विभाग की अभिरक्षा से गुम हो गई हैं । एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक दिया गया है । निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमादारों के पक्ष में अनुलिपि बीमा पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों का प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है ।

क्र० सं०	पालिसी सं० और दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रुपए)
1	2	3	4.
		सर्वश्री—	
1.	272647-पी 29-1-76	आर० रामाचंद्रन	रु० 3,000/–
2.	335978-पी 30-11-77	ई० वेंकटेसन	रु० 3,000/–

1	2	3	4
3.	406833-पी	1-2-80 आई० कृष्णन	रु० 4,000/-
4.	385747-पी	3-8-79 डी० राधा	रु० 10,000/-
5.	446702-पी	6-7-81 जी० शंकर	रु० 10,000/-
6.	448113-पी	9-7-81 के० सेल्वाराज	रु० 5,000/-
7.	501456-पी	7-9-83 ई० वेंकटेसन	रु० 5,000/-
8.	211075-पी	21-4-83 आर०धनिकाचलम	रु० 3,000/-
9.	341398-सी	6-1-81 श्रीमती वी० मुत्थूपुष्यम	रु० 3,000/-

सं० 25/30/87-एल० आई०—नीचे जिन बीमा पालिसियों का ब्यौरा दिया गया है वे विभाग की अभिरक्षा से गुम हो गई हैं। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमादारों के पक्ष में अनुलिपि बीमा पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों का प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है।

क्रम सं०	पालिसी सं०	तारीख	बीमाकर्ता का नाम	राशि (रुपए)
1.	246440-पी०	9-9-74	श्री के० राधाकृष्णन	रु० 5000/-

सं० 25-13/87-एल० आई०—नीचे जिन बीमा पालिसियों का ब्यौरा दिया गया है वे विभाग की अभिरक्षा से गुम हो गई हैं। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमादारों के पक्ष में अनुलिपि बीमा पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों का प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है।

क्रम सं०	पालिसी सं०	और दिनांक	बीमाकर्ता का नाम	राशि (रुपए)
1.	16543-एम०	15-5-75	श्री राम सिंह	रु० 5000/

ज्योत्सना
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

खाद्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1987

सं० 3-3/87 चीनी (डी० एफ०)-1—केन्द्रीय सरकार, विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 7 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 1986-87, जो 31 मार्च 1987 को समाप्त हुआ है, रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982, जो 1 जून, 1982 को प्रस्तुत हुआ, में एक निधि स्थापित करने और संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात चीनी उपकर अधिनियम, 1982 (1982 का 3) के अधीन उदग्रहीत और वसूल किए गए उत्पाद शुल्क के आगम के समतुल्य रकम उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित वसूली को घटाने के पश्चात जमा करने के लिए उपबंध है। वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान निधि में 80 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई, जिसमें निधि में जमा कुल रकम 338, 08, 41, 641 रुपए हो गई। इसमें से कुल 36, 5654, 081 रुपए खर्च किए गए थे, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है :—

(आंकड़े पूर्णांक रु० में)

(क) चीनी विकास निधि का प्रशासन	3,17,043-
(ख) चीनी का बफर स्टाक रखने के लिए राज सहायता	10,65,50,038/-
(ग) चीनी मिलों के पुनर्वासन आधुनीकरण के लिए ऋण	4,46,00,000/-
(घ) गन्ने का विकास करने के लिए चीनी मिलों को ऋण	21,41,87,000/-
	36,56,54,081.00

वित्तीय वर्ष 1986-87 के अन्त में इस निधि के खाते में 301, 51, 87, 560/- रुपए बकाया थे।

यद्यपि वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान सैंतीस चीनी मिलों को गन्ने के विकास के लिए ऋण प्रदान किए जा सके थे, लेकिन चीनी उद्योग के विकास के उद्देश्य से किसी अनुसंधान परियोजना के प्रयोजन के लिए अनुदान देने हेतु किसी पात्र संस्था से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

4. वित्तीय वर्ष 1986-87 के लेखों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

चीनी विकास निधि

(आंकड़े पूर्णांक रु०

अर्थ शेष	1986-87 के दौरान जमा की गई धनराशि	जोड़	1986-87 के दौरान हुआ
1	2	3	4
रु०258,08, 41,641/-	रु०80,00, 00,000/-	रु०338,80, 41,641/-	
			(क) चीनी विकास निधि का प्रशासन
			(ख) चीनी का बफर स्टाक रखने के लिए राज सहायता

1	2	3	4	5

(ग) चीनी मिलों के पुनर्वासन आधुनिकीकरण के लिए ऋण रु० 4,46,00,000/-

(घ) गन्ने का विकास करने के लिए चीनी मिलों को ऋण रु० 21,41,87,000/

रु० 36,56,54,081/-

गुरु देव सिंह,
उप सचिव ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर, 1987

अधिसूचना सं० 14/87—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 43(1) की शर्तों के अधीन निगम के निदेशक बोर्ड तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भाऔविनि कर्मचारीवृन्द विनियमों के 33(2) और विनियम 117 में संशोधनों का अनुमोदन किया है। इन संशोधनों जो पहली जुलाई, 1986 से प्रभावी हो गए हैं, में कर्मचारी द्वारा अर्जित की जाने वाली साधारण छुट्टी अथवा सेवा निवृत्ति के समय न ली गई साधारण छुट्टी लेने की सीमा छः मास से बढ़ाकर आठ मास करने का प्रावधान है। संशोधित विनियम निम्नलिखित अनुसार होंगे :—

विनियम संख्या 33 (2) (स्पष्टीकरण—II)

इस विनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी जहां किसी कर्मचारी ने साधारण अवकाश अर्जित किया हो, लेकिन सेवानिवृत्ति की तारीख तक लिया न हो, उसको अपने विकल्प पर ;

(क) इन विनियमों के अन्तर्गत अर्जित अवकाश के संबंध में अधिकतम आठ मास का अवकाश लेने की अनुमति दी जा सकती है और उस मामले में अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी को सेवा निवृत्त समझा जाएगा ।

या

(ख) एक मुश्त राशि, या जो कि न लिए गए अधिकतम आठ मास के अर्जित अवकाश के लिए उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख के अनुसार वेतन, जैसाकि विनियमों के विनियम 3 (ण) में परिभाषित है, महंगाई भत्ते सहित वेतन के समकक्ष होगी, की अदायगी की जाएगी ।

विनियम सं० 117

सभी कर्मचारियों के मामले में किसी एक बार ली जाने वाली साधारण छुट्टी की अवधि आठ मास (240 दिन) है और किसी कर्मचारी की इतनी छुट्टी जमा हो जाने के बाद वह और साधारण छुट्टी अर्जित नहीं कर सकता है ।

परन्तु, जिस तारीख को कर्मचारी अधिकतम छुट्टी अर्जित करेगा उस तारीख से कम से कम तीन महीने पहले जब उसने छुट्टी के लिए औपचारिक रूप आवेदन किया हो और छुट्टी अस्वीकार कर दी गई हो या उसने लिखित रूप से यह सुनिश्चित कर लिया हो कि यदि वह छुट्टी के लिए आवेदन करे तो वह मंजूर नहीं की जा सकती तो ऐसे कर्मचारी को छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तारीख तक उपर्युक्त अधिकतम अवधि से अधिक छुट्टी अर्जित करने की अनुमति दी जा सकती है ।

एम० एल० कपूर,
उप महाप्रबंधक (प्रशा० व कार्मिक)

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 26th August 1987

3083.—The following appointment on the reby notified :

twal, Officer, Top Executive Grade Scale charge as Dy. General Manager, Gov- 's Department, Central Office with effect 1987.

e 4th September 1987

following appointment on the Bank's

r, Top Executive Grade Scale VI Dy. General Manager (Person- ntral Office as at the colse of , 1987.

Sd/- ILLEGIBLE
Chief General Manager,
(Personnel and H.R.D)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400 005, the 5th August, 1987

No. 3WCA(5)/7/87-88—With reference to this Institute's Notification No. 3WCA(4)/7/85-86/dated 31-3-86, 3WCA(4)/-7/86-87 dated 25-2-87, 3WCA(4)/1/85-86 dated 31-3-86 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1964, that in exercise of the Powers conferred by regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:

Sr. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	10090	Shri Premchand Uttamchand Jain, FCA 302, Ganesh Darshan, Jagdusha Nagar, Ghtkopar (West), Bombay-400 086.	22-6

1	2	3	4
2.	32525	Shri Gajanand Agarwal, ACA 6/307 Rajendra Nagar, Kulupwadi Road, Near National Park, Borivali (E), Bombay-400 066.	22-6-87
3.	33102	Mrs. Kanchan M. Joshi, ACA P. O. Box 15468, Rouchester NY-14615 U.S.A.	15-7-87
4.	35565	Shri Anant Singh Coudhary, ACA 8 Hill Abode, Mount Poinsur, Borivali-West, Bombay-400 103.	19-6-87
5.	36364	Shri Vikram G. Advani, ACA, 9-C 'ANANTA' Dr. Rajaballi Patel Lane, Bombay-400 026.	03-7-87

R. L. CHOPRA
Secretary

Calcutta-700 071, the 9th September, 1987

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/5/6/87-88—With reference to the Institute's Notification No/Nos: 4ECA/11/79-80, 3ECA/4/3/85-86 and 3ECA/4/10/86-87 dated 15-3-80, 30-9-85 and 27-2-87.

It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, the name/s of the following members with effect from the date/s mentioned against his/their name/s:—

Sl.No.	Mem. No.	Name & Address	Date
1.	6998	Shri Sushil Kumar Majumdar, A.C.A. 21/A, Raja Basanta Roy Road, Ist Floor, Calcutta-700 026.	21-7-87
2.	7733	Shri Mrinal Kanti Sur, A.C.A. 105, Salimpur Road, Dhakuria, Calcutta-700 031.	1-7-87
3.	50668	Shri Sanjib Bhattacharya, A.C.A. F.7/1, Labony, Salt Lake, Calcutta-700 064.	13-7-87
4.	51376	Shri Sumit Kumar Tarafdar, A.C.A. P-170, C.I.T. Road, Calcutta-700 001.	22-7-87
5.	52224	Shri Partha Sarathi Basu, A.C.A. 4/16, Fern Road, Ist Floor, Calcutta-700 019	15-7-87

R. L. CHOPRA,
Secretary

Madras-600 034, the 9th September 1987

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(5)/6/87-88—With reference to this Institute's Notification Nos. 4CA(1)/9/68-69 dated 31st July 1968, 4SCA-(1)/9/79-80 dated 15th March 1980, 4SCA (1)/14/80-81 dated 31st March 1981, 4SCA(1)/4/82-83 dated 31st March 1983, 3SCA (4)/12/83-84 dated 31st March 1984, 3SCA(4)/13/85-86 dated 31st March 1986, 3NCA(4)/3/86-87 dated 27th February 1987 and 3SCA(4)/10/86-87 dated 27th February 1987, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	2419	Shri E.V.Jacob, ACA Chartered Accountant Y-207, V Avenue Anna Nagar Madras 600 040.	16-06-87
2.	11256	Shri C.S. Gopalkrishna Setty, FCA 'JAIVIJAI' No. 602, II Cross 3rd Block, 16th 'B' Main Road Koramangala Layout Bangalore 560 034.	24-07-87
3.	16355	Shri R. Sesnadri, ACA Chartered Accountant No. 7, Sri Ganga Apartments 108, Royapettah High Road Mylapore, Madras 600 004.	17-06-87
4.	18351	Shri S. Ranganathan, ACA PH 77-78, Southern Township Kamarajapuram Tiruchirapalli 620 014.	24-07-87
5.	19932	Shri Kurian C. George, ACA Deputy General Manager M/s. Carbon & Chemicals India Ltd. P B No. 2538, Cochin 682 035.	17-07-87
6.	20115	Shri A. Jagannath Babu, ACA Chartered Accountant 69/1, Sri Sai Krupa 4th Main, 17th Cross Malleswaram Bangalore 560 055.	06-07-87
7.	23227	Shri P. Antony Joseph, ACA 29/1094, 'Kunnel' Gas Plant Road Kadavanthara Cochin 682 020.	24-0
8.	50990	Mrs. Rama Seetharam, ACA No. 211, 8th Cross HMT Layout Mathikere Bangalore.	

MINISTRY OF COMMUNICA

DEPARTMENT OF POST

New Delhi-110 001, the 8th Sep

NOTICE

No. 21-14/86-LI.—P. L. I. Policies p
ing been lost from the Departmental

given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	272325-C 22-1-80	Sh. Gobind Ram Sonagara	20,000/-

No. 25-38/87-LI.—P. L. I. Policy particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policy in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policy:—

S. No.	Policy No. & Date	Name of insurant	Amount (Rs.)
1.	380648-C dt. 6-7-81	Sh. Gopal Lal	5000·00

The 10th September 1987

NOTICE

No. 25-16/87-LI.—P. L. I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	272647-P dt 29-1-76	Sh R Ramachandran	3,000
2.	335978-P dt 30-11-77	Sh E Venkatesan	3,000
3.	406833-P dt 1-2-80	Sh I Krishnan	4,000
4.	385747-P dt 3-8-79	Sh D Radha	10,000
5.	0446702-P dt 6-7-81	Sh G Shankar	10,000
6.	448113-P dt 9-7-81	Sh K Selvaraj	5,000
7.	501456-P dt 7-9-83	Sh E Venkatesan	5,000
8.	211075-P dt 21-4-83	Sh R Dhanikachalam	3,000
	341398-C dt 6-1-81	Smt V Muthupushpam	3,000

25-30/87-LI —P. L. I. Policy particularised below hav
ost from the Departmental custody, notice is herebr
he payment thereof has been stopped. The Direc
fe Insurance, Calcutta has been authorised to issue
y in favour of the insurant. The public are
ed against dealing with the original policy:—

Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
9-9-74	Sh K Radhakrishnan	5,000

P. L. I. Policy particularised below the Departmental custody, notice is here ant thereof has been stopped. The Direc ice, Calcutta has been authorised to n favour of the insurant. The public inst dealing with the original policy :

Name of Insurants	Amount (Rs.)
Sh. Ram Singh	5,000

Jyotsna Diesh
Director (PLI)

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES
DEPARTMENT OF FOOD

New Delhi, the 8th September 1987

No. 3-3/87-Sugar (DF)-I—In pursuance of section 7 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby publishes the report for the financial year 1986-87, which ended on the 31st March, 1987.

2. The Sugar Development Fund Act, 1982, which came into force on the Ist June, 1982, provides for setting up of a Fund crediting thereto amounts equivalent to the proceeds of duty of excise levied and collected under the Sugar cess Act, 1982 (3 of 1982), reduced by the cost of collection as determined by the Central Government after due appropriation made by Parliament by law. A sum of rupees eighty crores was credited to the fund during the financial year 1986-87 raising the total amount standing at the credit of the fund to Rs. 338,08,41,641·00 Out of this, a total expenditure of Rs. 36,56,54,081·00 was incurred as detailed below:—

		(figures in whole rupees)
(a)	Administration of Sugar Development Fund	3,17,043
(b)	Subsidy for maintenance of buffer stock of sugar	10,65,50,038
(c)	Loans for rehabilitation/ modernisation of sugar mills	4,46,00,00
(d)	Loans to sugar mills for sugarcane development	21,41,87,000
		36,56,54,081

The balance at credit of the Fund at the close of the financial year 1986-87 is Rs. 301,51,87,560·00.

3. While loans for development of sugarcane could be granted to thirty seven sugar mills during the financial year 1986-87, there was no application from any eligible institution for making grants for purposes of any research project aimed at development of sugar industry

4. A statement of accounts for the financial year 1986-87 is given below:—

SUGAR DEVELOPMENT FUND

(figures in whole rupees

Opening balance	Amount credited during 1986-87	Total	Expenditure incurred during 1986-87	Balanceas on 31-3-87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rs. 258,08,41,641	Rs. 80,00,00,000	Rs. 338,08,41,641		Rs. 301,51,87,560

		Rs.
(a)	Administration of Sugar Development Fund	3,17,043
(b)	Subsidy for maintenance of buffer stock of Sugar.	10,65,50,038
(c)	Loan for revabilitation/ modernisation of sugar mills.	4,46,00,000
(d)	Loans to sugar mills for sugarcane development	21,41,87,000
		36,56,54,081

GURDEV SINGH,
Dty. Secy.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 9th September 1987

No. 14/87.—The Board of Directors of the Corporation, and the Industrial Development Bank of India, has approved, in terms of Section 43(1) of the Industrial Finance Corporation Act 1948, amendments to Regulation 33(2) and 117 of the IFCI Staff Regulations. These amendments, which are effective from the 1st July 1986, provide for increase in the limit upto which an employee can earn ordinary leave or avail himself of the unavailed ordinary leave at the time of retirement, from six months to eight months. The amended Regulations read as under :—

Regulations No. 33(2) (*Explanation-II*)

Notwithstanding anything contained in this Regulation, where an employee has ordinary leave earned but not availed of as on the date of retirement, he may, at his option;

(a) be permitted to avail of leave subject to a maximum of *eight months* in respect of leave earned under these Regulations and in that case the employee will be deemed to retire from the service at the expiry of the leave

OR

(b) be paid a lump-sum amount which would be equivalent of pay as defined in Regulation 3(o) of these Regulations as on the date of his retirement, for the unavailed ordinary leave earned subject to a maximum of *eight months* plus dearness allowance in respect thereof.

Regulation No. 117

The period of ordinary leave which can be taken at any one time of *eight months* (240 *days*) in the case of all employees and no further ordinary leave can be earned by an employee after he has such amount of leave due to him. Provided that if, at least three months before the date on which an employee shall have earned leave for the maximum period, he has formally applied for leave and the leave has been refused or he has ascertained in writing that leave, if applied for, will not be granted, such an employee may be permitted to earn leave in excess of the maximum aforesaid, upto the date specified by the competent Authority.

M. L. KAPOOR,
Dy. General Manager (Admn. & Pers.)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987.